कार्यालय संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)

Website- http://ssmcrewa.com, Email-jdsupdtgmhrewa@rediffmail.com, Tel/Fax-07662-350106

क्रमांक 14145 / क्रय / जी.एम.एच. / 2025 रीवा,दिनांक 10.12.25

(Corrigendum) शुद्धिपत्र

निविदा क्रमांक–10/2025-26 Tender ID- 2025_DME_463185_1 श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा से सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु बिरसा मुण्डा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में सिकल सेल एनीमिया तथा अन्य हीमोग्लोबिनोपैथी जॉच हेतु एंव जैनेटिक लैब स्थापित किए जाने के लिए उपकरण क्रय हेतु (लोकल पर्चेस) (प्रथम आमंत्रण) की ऑनलाईन ई–निविदा में नियम एवं शर्तों का पृष्ठ क्र. 05 लिपिकीय त्रुटिवश एमपीटेण्डर पोर्टल में प्रदर्शित नही हो रहा था, जिसे अपलोड किया जा रहा है।

अतएव पूर्व में ऑनलाईन निविदा भरने की अंतिम तिथि 19.12.2025 थी, जिसमें संशोधन कर निविदा भरने की अंतिम तिथि में दिनांक 29.12.2025 सायं 06.00 बजे तक की वृद्धि की जाती है। अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

(डॉ राहुल मिश्रा)
संयुक्त संचालक एंव अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा म.प्र.

रूपये प्रतिदिन का जुर्माना निविदाकार की प्रतिभूति राशि(EMD-earnst money deposit) से काट लिया जायेगा।

13. निविदाकार द्वारा पूर्व में किये गये किसी भी शासकीय अस्पताल अथवा अर्धशासकीय अस्पताल में किये गये सफल विक्रय का विवरण प्रस्तुत करना होगा जिसे सत्यापित किया जा सके।
14. निविदा केवल निर्माता कंपनी अथवा उनके अधिकृत डीलर द्वारा ही भरी जाए।
15. उपकरण विलम्ब या आधी अधूरी प्रदाय करने की स्थिति में द्वितीय निविदाकार (एल–02) से क्रय कर जो राशि का अंतर होगा वह प्रथम निविदाकार की प्रतिभूति या देयक से काटा जावेगा।
16. निविदाकार को निविदा के साथ उपकरण की उच्च क्वालिटी सर्टिफिकेट European CE/USFDA संलग्न करना अनिवार्य होगा।
17. अनुबंध करने के बाद सामग्री प्रदाय न करने की स्थिति में जमा प्रतिभूति राशि राजसात कर आदेश निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता/संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक को रहेगा तथा कार्यादेश अन्य संस्था, द्वितीय निविदाकार (एल–02) को दिया जा सकेगा इस कारण होने वाली वित्तीय हानि को भी राजकीय हानि मानते हुये निरस्त निविदाकर्ता से वसूली की जावेगी।
18. किसी भी विवाद, व्यवधान अथवा लागू नियम व शर्तों को समझने में दुविधा की स्थिति में मित्रवत शालीन व्यवहार करते हुये संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक गांधी स्मारक चिकित्सालय से उनके कार्यालय में चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास करना होगा चर्चा उपरांत पहुंचे समाधान को निविदाकार को मान्य करना होगा।
19. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता चिकि.महा. रीवा के पास किसी भी निविदा को ग्राह्य करने अथवा नही करने तथा साथ ही जनहित मे निविदा शर्तो मे परिर्वतन करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
20. निविदाकार को निविदा प्रपत्र की समस्त शर्तें मंजूर करनी होगी, जिन्हें पालन करने के लिये वह वैधानिक रूप से बाध्य है ।
21. इस निविदा में स्वीकृत दरों से केवल उन्ही उपकरण का क्रय किया जावेगा जिनकी दरें एम.पी. एच.एच.सी.एल की सूची में उपलब्ध नही हैं अथवा उनके द्वारा समय से प्रदायगी नही की जा रही है अथवा स्थानीय स्तर पर अनुबंधित फर्मों द्वारा प्रदायगी नही की जा रही है और मरीजों के उपचार हेतु तात्कालिक रूप से आवश्यक है।
22. **जिस निविदाकार की दरें स्वीकृत होगी उन्हे प्रदाय करना अनिवार्य होगा।**
23. निविदा के सम्बन्ध में न्यायिक विवाद रीवा स्थित न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होगा।
24. उपकरण के विनिर्देश संबंधित समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा ।

संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक
गांधी स्मारक चिकित्सालय रीवा (म.प्र.)